न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 34/2022/नागौर (2012/00004)

इन्द्र सिंह पुत्र श्री शिम्भु सिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम टांगला तहसील जायल जिला नागौर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
आदेश कमांक न्याय/आर्म्स/2012/4058 दिंनाक 07–09–2012

———

उपस्थितः 1– श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी (ब्रीफ होल्डर)
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 14–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इन्द्र सिंह के नाम जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 जो कि दिनाक 30–12–2008 तक नवीनीकरण था जिसे आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट दिनांक 12–1–2012 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या 263/2008 पुलिस थाना नागौर में विभिन्न धाराओं में दर्ज होने एवं जैर तफ्तीश में होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा आगामी अवधि हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 7–9–2012 द्वारा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के आदेश दिनांक 07–09–2012 से असन्तुष्ट होकरयह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने अपने पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 जो दिनांक 30–12–2008 तक वैद्य था उसको आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, नागौर से रिपोर्ट चाही गई, जिन्होंने पत्र दिनांक 12–1–2012 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 263/2008 पुलिस थाना नागौर में अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 471, 420 व 192 आई.पी.सी में दर्ज होकर अदालत में जैर तफ्तीश होना बताया तथा अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने का निवेदन किया गया। जिसका जवाब अपीलाथी द्वारा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि मेरे खिलाफ धारा 107 सी.आर.पी.सी. में मामला दर्ज था जो स्वतः ड्राप हो चुका है तथा प्रकरण संख्या 263/2008 में भी पुलिस थाना नागौर द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसके बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने प्रकरण संख्या 263/2008 को ही मुख्य आधार मानकर अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 को अपने आदेश दिनांक 7–9–2012 द्वारा निरस्त कर कानूनी भूल की है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी एवं जबर सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टांगला के मध्य पारिवारिक जमीन के विवाद को लेकर राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसके कारण ही जबर सिंह द्वारा अपीलार्थीके विरूद्ध झूठा व फर्जी तथ्यों के आधार पर फौजदारी इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके कारण पुलिस थाना नागौर में अनुसंधान किया जाकर प्रकरण संख्या 263/2008 में एफ.आर. प्रस्तुत की गई। उक्त फर्जी तथ्यों के आधार पर आधारित प्रकरण को ही सत्य मानकर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थी का नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–9–2012 निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी के पक्ष मे जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 का नवीनीकरण किये जाने हेतु आदेश प्रदान करावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 355 दिनांक 12–01–2012 में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 263/2008 पुलिस

थाना नागौर में अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 471, 420 व 192 आई0पी0सी0 में दर्ज होकर अदालत के आदेश से जैर तफ्तीश है। इस आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मु0न0 263/2008 के सन्दर्भ में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिसके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 10–8–2012 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मु0न0 263/2008 जैर अनुसंधान होने एवं अनुज्ञाधारी का आचरण ठीक नहीं होने एवं परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद होने के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा व्यक्त की गई। उक्त रिपोर्ट एवं आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का आवेदन पत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं कर अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 निरस्त किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश दिनांक 07–09–2012 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 355 दिनांक 12–01–2012 में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 263/2008 पुलिस थाना नागौर में अन्तर्गत धारा 465, 467, 468, 471, 420 व 192 आई.पी.सी में दर्ज होकर अदालत के आदेश से जैर तफ्तीश है। इस आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मु0न0 263/2008 के सन्दर्भ में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिसके संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के पत्र क्रमांक 2548 दिनांक 10–8–2012 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मु0न0 263/2008 जैर अनुसंधान होने एवं अनुज्ञाधारी का आचरण ठीक नहीं होने एवं परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद होने के आधार पर नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 263/2008 अभी भी न्यायालय में जैर तफ्तीश है तथा अपीलार्थी के परिवार में बंटवारे को लेकर विवाद होता रहता है जिसके लिए अपीलार्थी को पाबन्द भी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पास हथियार होने पर किसी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने जिला पुलिस अधीक्षक नागौर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 निरस्त किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित है।

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने आदेश क्रमांक 4058 दिनांक 7–9–2012 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 70/2002 को निरस्त कर थाना रोल जिला नागौर में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,) नागौर का आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/2012/4058 दिनांक 07–09–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर